

क्रमांक	प्राप्त	प्रदान	योग	श्री ०	श्री ०	श्री ०
2357	०	१	१०			
2359	०	१	०			
2360	०	३	०			
2362	०	२	०			
2364	०	३	०			
2365	०	१२	०			
2366	०	६	०			
2367	२	२	१०			
2728	१८	१९	१०			
2729	१५	११	०			

पक्ष .. 101 11 10

6.4.17 证明

26 045 80

25 जनवरी, 1979 ई०

सं० 8109, बी.ए.— 2— 503, 77— भारतीय वन अधिनियम,
1927 (अधिनियम सं० 16, 1927) की धारा 29 के
अधीन शास्त्र का और इन विभिन्न अन्य सम्पत्त सम्पत्तिकारी शक्तियों
का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित
उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के पानी तराफ के सम्पत्तिकारी वन या बंजर
भूमि की परिदृष्टियों को, साथ ही उन पर वृक्ष लगाने की या नहीं, संरक्षित
वन घोषित करते हैं तथा उन पर उत्तर अधिनियम के अध्याय 4
और धारा 68 के उपबन्ध लागू होंगे :

पट्टों का नाम	विवरण और स्थिति
रेलवे	प्रवलय के द्वारों पर विभागीय को अन्तर्गत पूर्वोक्त रेलवे के निम्नलिखित संयोजन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यादों से लगी हुई भूमि

इज्जतनगर मण्डल--

- 1-रायतपुर से कर्णदाबाद
- 2-कर्णदाबाद से कासगंज
- 3-कासगंज से अछनेरा
- 4-कासगंज जंक्शन से बरेली ✓
- 5-बरेली जंक्शन से काशीपुर ✓
- 6-काशीपुर से मंलाही ✓
- 7-मंलाही से टनकपुर
- 8-मनपुरा जंक्शन से बुन्दारा
- 9-बुन्दारा से शहादपुर
- 10-शहादपुर से करगंज
- 11-करगंज से काशीपुर
- 12-काशीपुर से रामनगर
- 13-रामनगर से काशीपुर
- 14-काशीपुर से शहादपुर
- 15-शहादपुर से मन्थाना ✓
- 16-मन्थाना से इज्जतनगर ✓

लखनऊ मन्त्रालय—

- 1—गोरखपुर छावनी से गोन्डा
2—गोन्डा से लखनऊ जंक्शन

- 3-मन्दास नगर में राजापुर
- 4-मन्दासो में राजापुर
- 5-मन्दासपुर में मन्दा (नगर)
- 6-मन्दासपुर में कटरा
- 7-मन्दास में मन्दासो
- 8-मन्दास नगर में मन्दास
- 9-मन्दास में मन्दासपुर
- 10-मन्दासो में राजा
- 11-मन्दास में मन्दासपुर
- 12-मन्दास में मन्दासपुर
- 13-मन्दास में मन्दासपुर
- 14-मन्दास में मन्दासपुर

वाराणसी मन्दिर—

- 1-भटनी से गोरखपुर छावनी
- 2-भटनी से बाराबंसी
- 3-बाराबंसी से दुमहाबाद संडो
- 4-भटनी से बनरहा
- 5-गोरखपुर छावनी से तिनकोरिया हास्ट (कूप)
- 6-ओरिहार जंक्शन से बकुल्हा
- 7-छिपौनी से बघातगंज
- 8-सलेमपुर से जहजबाजार
- 9-इन्दारा से बोंहरीघाट
- 10-फेरुना से इन्दारा
- 11-भद्र प्रबन्धन से साहगंज
- 12-ओरिहार से जौनपुर
- 13-मायोसिह से बोंह

आता मे,
एन० पी० त्रिपाठी,
तय्यार ।

The Government is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. S109, XIV-2 503-77, dated January 25, 1979 for general information :

No. S109, XIV-2 503-77

In exercise of the powers under section 17
of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. XVI
1927) and all other powers enabling him

प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वार्ता प्रभाग
पीलीभीत

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलानी

for this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and section 68 of the said Act to be applicable to them :

Schedule

Name of strips	Description and situation
Railway ..	The land along the railway track and station yards of the sections mentioned below on the North Eastern Railway transferred to the Forest Department for management:

Izzatnagar Division :

1. Rawatpur to Farrukhabad.
2. Farrukhabad to Kasganj.
3. Kasganj to Achnera.
4. Kasganj Junction to Bareilly.
5. Bareilly Junction to Kathgodam.
6. Bhujipura to Maillani.
7. Pilibhit to Tanakpur.
8. Mathura Junction to Vrindavan.
9. Pilibhit to Shahjahanpur.
10. Sahajpur to Pherganj.
11. Moradabad to Kashipur.
12. Kashipur to Ramnagar.
13. Lalkutan to Khatoli.
14. Manikpur to Baramulla.
15. Izzatnagar to Sahasganj.
16. Izzatnagar to Khatoli.

Lucknow Division :

1. Gorakhpur Chhauri to Gonda.
2. Gonda to Lucknow Junction.
3. Lucknow Junction to Rawatpur.
4. Maillani to Daliganj.
5. Gorakhpur to Gonda (Loop).
6. Mankapur to Katra.
7. Gonda to Maillani.
8. Anandnagar to Nautanwa.
9. Barabhat to Sitapur.
10. Gansari to Jarwa.
11. Nanpara to Nepalganj Road.
12. Dudwa to Gauripura.
13. Dudwa to Chandan Chawki.
14. Sitapur to Thomsanganj.

Varanasi Division :

1. Bhatni to Gorakhpur Chhauri.
2. Bhatni to Varanasi.
3. Varanasi to Allahabad City.
4. Bhatni to Bankat.
5. Gorakhpur Chhauri to Tinduriah halt (Loop).
6. Aurihar Junction to Bakulha.
7. Chhauri to Kaptanganj.
8. Salempur to Barahajhaja.
9. Indara to Dohighat.
10. Phepna to Indara.

11. Misa Junction to Shahganj.
12. Aurihar to Jaunpur.
13. Madhosing to Chertli.

27 जनवरी, 1979 ई०

सं० 3064/14-2-20(175)-74-अधिनियम संख्या 1801/14-2-54, सं० 23(2)-44/14-अ-66 तथा 23 (3)-21/14-अ-68 प्रमाणित दिनांक 19 अप्रैल, 1954, 26 नवम्बर, 1966 तथा 24 मई, 1968 द्वारा अधिनियमित अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम सं० 16, 1927) के अधीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था।

और उक्त भूमि में अधिकारी के द्वारा को प्रस्ताव करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अधि विनियमन हो गये हैं; और ऐसे कोर्ट द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं; अतः, अब, उक्त अधिनियम को धारा 20 के अधीन परिवर्तित कर प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 1 मार्च, 1979 से उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची

स्थिति और क्षेत्रफल बरतन सं० 1

जिला—गोन्डा तहसील—उत्तरीका परगना—उत्तरीका

गांव—जनवरिया	क्षेत्रा नम्बर	क्षेत्रफल
	6831-मि०	3.18
	7331-मि०	2.30
	7379-मि०	11.80
	7599/4-मि०	2.25
	7599-मि०	5.33
	7600-मि०	4.96
	7600-मि०	2.30
	7638-मि०	12.25
	7638-मि०	2.20
	8130-मि०	10.25
	1211-मि०	1.11
	8395-मि०	1.00
	8703	2.62
	8704	12.62
	8719-मि०	2.35
	8735	3.05
	8786-मि०	3.94
	8796-मि०	17.50
	8797-मि०	7.80
	8798-मि०	1.95
	8798-मि०	7.44
	8803	1.70
	9089-मि०	9.50
	9904-मि०	12.00
	9976-मि०	29.72
	9976-मि०	3.90
	10070	23.40
	9904-मि०	3.00
	9902	2.92
	9898-मि०	0.91

योग .. 211.88

मा

85.745

हेक्टर

सोमाये—जमा कि विस्तृत सोमा वर्ग में अर्पित है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वारिकी प्रभाग
पीलीभीत